न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 09 / 2020

1. इलियास
2. सौराब पिसरान समीखां जाति मेव निवासी ग्राम भौरी तहसील पहाडी

प्रार्थीगण

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट

उपस्थित :— श्री प्रहलाद सिंह वकील प्रार्थीगण

दिनांक :— 16 / 08 / 2023

निर्णय

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 165 / 0.23, 166 / 0.16 हैक्टर बांके ग्राम भौरी तहसील पहाडी में स्थित है। आराजी खसरा नम्बर 165 का खातेदार प्रार्थी संख्या 2 व खसरा नम्बर 166 का प्रार्थी संख्या 1 खातेदार काश्तकार है और हाल में रकबे पर शान्तीपूर्ण तरीके से काबिज है बन्दोबस्त ने उक्त खसरा नम्बरों के स्थान पर नये खसरा नम्बर 257 व 258 दर्ज कर दिये है उक्त खसरा नम्बरों के नये नम्बर बनने से प्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है लेकिन बन्दोबस्त विभाग ने नक्शा बनाते समय प्रार्थीगण की आराजी को प्रार्थीगण के कब्जे काश्त वाली जगह से अलग दर्शा दिया है जिससे कि प्रार्थीगण को क्षति हो रही है प्रार्थीगण अपने रकबे में काफी अरसे से काबिज है और मेड बन्दी कर रखी है और हाल में पुश्तैनी कब्जा है लेकिन नक्शे में प्रार्थीयान को गलत जगह पर दर्शा कर राजस्व कर्मचारियो ने भारी भूल की है। प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 165 व 166 है जिनके नवीन नम्बर 257 व 258 है लेकिन नक्शे में सैटलमेन्ट विभाग ने यहाँ पर खसरा नम्बर 257 व 258 दर्शाये है वहां पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है । प्रार्थीगण के कब्जे वाली जगह पर सैटलमेन्ट विभाग ने खसरा नम्बर 830, 831 , 832 दर्शाये है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

प्रार्थीगण की आराजी नये खसरा नम्बर 257 व 258 को नक्शे में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त वाली जगह पर दर्शाये जाने व नक्शे की दुरूस्ती मौका देखकर की जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 ने न्यायालय में उपस्थित होकर जबाब/मौका पर्चा इस आशय का पेश किया कि खाता संख्या 70 खसरा नम्बर 258/0.16 हैक्टर इलियास पुत्र समी खां तथा खाता संख्या 463 खसरा नम्बर 257/0.23 हैक्टर सौराव पुत्र समी खां के नाम दर्ज रिकॉर्ड है उक्त खसरा नम्बरों के मौके पर मय रिकॉर्ड पहुंचा मौके पर उपस्थित लोगों ने बताया कि खसरा नम्बर 256 व 256 के स्थान पर खसरा नम्बर 255 के खातेदार असलूप पुत्र बक्सी वगैराह काबिज काश्त है तथा खसरा नम्बर 257 के स्थान पर खसरा नम्बर 256 तथा खसरा नम्बर 832, 830 के स्थान पर खसरा नम्बर 257 सौराव पुत्र समी खां काबिज काश्तकार है तथा खसरा नम्बर 830, 832 (चारागाह) खसरा नम्बर 833 चारागाह में स्थित है इसी प्रकार खसरा नम्बर 259 व 259/2888 के स्थान पर खसरा नम्बर 259 तथा खसरा नम्बर 258 के स्थान पर खसरा नम्बर 259/2888 तथा खसरा नम्बर 831 के स्थान पर खसरा नम्बर 258 इलियास पुत्र समी खां काबिज काश्तकार है तथा खसरा नम्बर 831 (चारागाह) खसरा नम्बर 829 (चारागाह) में स्थित है । अतः उपस्थितों के बताये अनुसार खसरा नम्बर 255 व 256 की बजाय खसरा नम्बर 255 तथा खसरा नम्बर 257 की बजाय खसरा नम्बर 256 तथा 832 व 830 की बजाय 257 तथा 833 के अन्दर खसरा नम्बर 832 व 830 इसी प्रकार 259 व 259/2888 की बजाय 259 तथा 258 की बजाय 259/2888 तथा 831 की बजाय 258 तथा 829 के अन्दर 831 नक्शा व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित होगा।

बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया । वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड, जबाब /मौका रिपोर्ट तहसीलदार का गहनता से अध्ययन किया । प्रार्थीगण इलियास व सौराब पिसरान समी खां ने अपनी-अपनी खातेदारी के खसरा नम्बर 257/0.23 व 258/0.16 साविक खसरा नम्बर 165/0.23 व 166/0.16 से बने है। इनमें से प्रार्थी संख्या 1 खसरा नम्बर 258 पर व प्रार्थी संख्या 2 खसरा नम्बर 257 पर काबिज होकर काश्त कर रहे है लेकिन भू-प्रबन्ध विभाग ने खसरा नम्बर 257 व 258 मौके के विरूद्ध बनाये गये है जो की वर्तमान राजस्व नक्शा में खसरा नम्बर 830, 831,832 के स्थान पर बनाये जाने चाहिए थे । अप्रार्थी तहसीलदार पहाडी द्वारा प्रस्तुत पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 255, 256, 257, 258, 259, 259/2888 एवं खसरा नम्बर 829, 830, 831, 832, 833 को मौके के विरूद्ध भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा नक्शा सीट में दर्ज कर दिया

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

है साथ ही वर्तमान नक्शा सीट एवं मौके पर काबिज नक्शा सीट का नजरी नक्शा दर्ज कर उपरोक्तानुसार दुरूस्ती करने की रिपोर्ट पेश की है।

अतः आज्ञा है कि :-

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किया जाता है प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दर्ज खसरा नम्बर 257 व 258 एवं इससे प्रभावित सभी नम्बरान की दुरूस्ती पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार की जावें। तहसीलदार पहाडी द्वारा प्रस्तुत जबाब/ मौका रिपोर्ट पटवारी की छाया प्रति संलग्न कर राजस्व नक्शा सीट में दुरूस्ती करने हेतु आदेशित किया जाता है। निर्णय प्रति तहसीलदार पहाडी को पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 16/08/2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (डीग)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)